


211111 पत्रावली पेरा दुई । अधिवक्ता अपीलांत
 अनुपस्थित । आयालय अगुय त्त
 इतंजा र किचा कोवजुड पुचना
 अनुपस्थित । अपील अपीलांत
 आज हाजरी अकम पेंची मे
 खारिज की जाती है । पत्रावली
 केवल शुभात केवल नवट ले कम
 होकर बाद तकनीक द।खिल केवल
 है । आदेश ले इजलाश
 सुनाया गया



राजस्थान अधिवक्ता
 राजमहल